

समाहरणालय, सिवान
(जिला सामान्य शाखा)

कार्यालय जिला पदाधिकारी, सिवान के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण-पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्देश
संख्या-F. No. 11-09/98-FC (pt) दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

प्रमाण-पत्र सं० 3397/सा0शा0, दिनांक 03-12-18

प्रमाणित किया जाता है कि सिवान जिले में पूर्वोत्तर रेलवे महाराजगंज-मशरख रेल खण्ड पर रेलवे ओभर ब्रिज के निर्माण हेतु छपरा सलेमपुर पथ (बडका गाँव-बसंतपुर के बीच) की रैखिक परियोजना निर्माण स्थान कौडिया ग्राम में पडनें वाले पथ तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि 1.361 हे० रकबा के अपयोजन हेतु प्रयोगत्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमण्डल, गोपालगंज के पत्रांक 1203 दिनांक 22.07.2017 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 31.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जन जाति की आबादी नहीं है।

01.12.18
जिला पदाधिकारी,
सिवान।